न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	प्राथमिक डिक्री दिनांक	अंतिम डिक्री दिनांक
195 / 2021	27.10.2021	13.06.2022

अनवान

देवीलाल पुत्र कनीराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी मानजी का गुढा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---वादी

॥ बनाम ॥

1. राजू पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
2. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल रेगर आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त भाई राजू पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
3. पुरण पुत्र मांगीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
4. ममता पुत्री मांगीलाल जाति रेगर आयु नाबालिग जरिये सरपरस्त भाई राजू पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
5. गंगाराम पिता कैलाश चन्द्र जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी
6. धन्नी पुत्री कैलाश चन्द्र जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी
7. पृथ्वीराज पुत्र कैलाश चन्द्र जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी
8. भेरूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी
9. जीवन पुत्र कैलाश चन्द्र जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर राज0

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

देवीराम

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0 का0 अधि0 1955

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम आसावरा पटवार हल्का आसावरा की खाता संख्या 262 की आराजी संख्या 710 रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर मौके पर किसी प्रकार का विधि अनुसार विभाजन नहीं हुआ है उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है एवं उसी अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहें है। किन्तु खाता शामलाती होने से तथा बंटवाडा नहीं होने से विवाद पैदा हो रहा है। अतः माफिक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। बाद कार्यवाही दिनांक 27.10.2021 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा आसावरा की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीश्नर नियुक्त किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/236 दिनांक 24.02.2022 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा हैक्ट.	किस्म	लगान
1	देवीलाल पुत्र कनीराम मेघवाल सा. मानजी का गुढा खातेदार	710 मीन	0.54	बारानी 1	7.02
	किता	1	0.54		7.02

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

2	नाबालिग कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल रेगर सरपरस्त भाई राजू 1/40, गंगाराम पुत्र कैलाश 1/10 रेगर, धन्नी पुत्री कैलाशचन्द्र 1/10, मोवन पुत्र कैलाशचन्द्र 1/10, पृथ्वीराज पुत्र कैलाशचन्द्र 1/10 रेगर, पुरण पुत्र मांगीलाल 1/40, भेरूलाल पुत्र रामचन्द्र 1/2, ना.बा. ममता पुत्री मांगीलाल सरपरस्त भाई राजू 1/40 राजु पुत्र मांगीलाल 1/40 रेगर सा0 निकुंभ खातेदार	710/1	0.27	बारानी 1	3.51
	किता	1	0.27		3.51

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़